

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2026 — आषाढ़ 26, शक 1948

जेल विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2026

आदेश

क्रमांक GENS-901/2/2025/3-JAIL/110922.— कारागार अधिनियम, 1894 (1994 का सं. 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उप-जेल बीजापुर का उन्नयन करती है एवं उसे जिला जेल के समकक्ष अधिसूचित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th July 2026

ORDER

NO. GENS-901/2/2025/3-JAIL/110922.— In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, upgrades Sub-Jail Bijapur and notifies it as equivalent to District Jail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KUSUM EKA, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2026

आदेश

क्रमांक GENS-901/2/2025/3-JAIL/110922.— कारागार अधिनियम, 1894 (1994 का सं. 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उप-जेल नारायणपुर का उन्नयन करती है एवं उसे जिला जेल के समकक्ष अधिसूचित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th July 2026

ORDER

NO. GENS-901/2/2025/3-JAIL/110922.— In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, upgrades Sub-Jail Narayanpur and notifies it as equivalent to District Jail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KUSUM EKKA, Deputy Secretary.